



संख्या- 931 /15-7-168 1/ 2022

प्रेरक,

आचार्य जीवराज  
राज्य शिक्षा परिषद  
एन.टी. रोड, जयपुर

सेवा में,

राज्य  
शिक्षा परिषद  
एन.टी. रोड, जयपुर  
प्रति शिक्षा, महाराष्ट्र

शिक्षा 171 अनुभाग

तखनऊ: दिनांक: 06 जू 2022

विषय:- आचार्य जीवराज राजेश्वर शर्मा जी की कार्यवाही के संबंध में  
शुद्ध प्रमाणित प्रमाण पत्र दिने जाने के संबंध में।

महोदय,

आचार्य शिक्षा से और आपसे ध्यान आकृष्ट हो रहा है कि यह सब सब प्रमाणित  
है कि आचार्य जीवराज राजेश्वर शर्मा जी की कार्यवाही के संबंध में  
संबंधित हेतु अनामित प्रमाण पत्र दिने जाने में उक्त राज्य सरकार को निम्नलिखित  
प्रतिबंधों के अधीन अनामित नहीं है :-

- 11: विद्यालय की मंजीकृत तैयारी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 12: विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 13: विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिगत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे 30% माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न वर्गों के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 14: संस्था द्वारा राज्य सरकार से कितनी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से सहायता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौशल फार्म दि इण्डियन स्कूल सर्विसेज इकजा मिनिस नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से 30% माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त सहायता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त होते जायेंगे।